



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248722
CG-DL-E-14092023-248722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3895]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2023/भाद्र 22, 1945

No. 3895]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2023/BHADRA 22, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

का.आ. 4057(अ).—केंद्र सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38क और 38ख की उप-धारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2152(अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले इसके संबंध में कही गई या कहने से छोड़ी गई बातों के सिवाय एतद्वारा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करती है और निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति करती है अर्थात:-

1.	मंत्री, प्रभारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष;
2.	सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य;
3.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य;
4.	अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव) एवं निदेशक, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य;

5.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य;
6.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य;
7.	निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सदस्य;
8.	उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	सदस्य;
9.	डॉ० सुबीर एस. मजुमदार, महानिदेशक, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य;
10.	श्री अमिताभ अग्रिहोत्री, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, मध्यप्रदेश	सदस्य;
11.	डॉ० रंजना गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (सेवानिवृत्त) असम	सदस्य;
12.	डॉ. संजय कुमार शुक्ला, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य – सचिव ।

2. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगा।

[फा.सं. 7-14/2023-केचिप्रा]

आर. रघु प्रसाद, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2023

S.O. 4057(E).—In exercise of the powers conferred by section 38A and sub-section (1) of section 38B of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 2152(E), dated the 30th June, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the Central Zoo Authority and appoints the following members, namely: -

1.	Minister, in charge of the Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Chairperson;
2.	Secretary to the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Member;
3.	Director General of Forests and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Member;
4.	Additional Director General of Forests (Wild Life) and Director, Wild Life Preservation, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Member;

5.	Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Member;
6.	Director, Wildlife Institute of India, Dehradun, Uttarakhand	Member;
7.	Director, Zoological Survey of India, Kolkata, West Bengal	Member;
8.	Vice President, Confederation of Indian Industry, New Delhi	Member;
9.	Dr. Subeer S. Majumdar, Director General, Gujarat Biotechnology University, Gandhinagar, Gujarat	Member;
10.	Sh. Amitabh Agnihotri, Principal Chief Conservator of Forests and Director (Retd.), State Forest Research Institute, Jabalpur, Madhya Pradesh	Member;
11.	Dr. Ranjana Gupta, Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife Warden (Retd.), Guwahati, Assam	Member;
12.	Dr. Sanjay Kumar Shukla Central Zoo Authority, New Delhi	Member–Secretary.

2. The term of office of the Chairperson and Members of the Central Zoo Authority shall be for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

[F. No. 7-14/2023-CZA]

R. RAGHU PRASAD, Inspector General of Forests